न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 08/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भीमाराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी नयावास नम्बर 2, सिरोही		1 प्रतापराम पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी रेबारीवास, सिरोही
2 मंछाराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी नयावास नम्बर 2, सिरोही		2 शिवलाल पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी रेबारीवास, सिरोही
3 देवी पुत्री मालाराम पत्नी रमेश जाति माली निवासी कृष्णापुरी, सिरोही		3 कैलाश पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी रेबारीवास, सिरोही
4 पोनी पुत्री मालाराम पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी अमरनगर, सिरोही		4 जगदीश पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी रेबारीवास, सिरोही
5 खुमीबाई पत्नी मालाराम जाति माली निवासी नयावास नं0 2, सिरोही जिला सिरोही		5 गीता पुत्री बाबुलाल पत्नी अनाराम जाति माली निवासी नया बाजार, भाटकडा, सिरोही
		6 सुकी पत्नी बाबुलाल जाति माली निवासी नया बाजार, भाटकडा सिरोही
		7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2015 प्रतापराम वगैरा बनाम भीमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 एवं 18.01.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिरोही के खसरा नम्बर 3096 रकबा 0.8300 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की पुश्तैनी भूमि है, जो पूर्व में मूलाजी की खातेदारी भूमि थी। मूला जी के पीन पुत्र धनाराम, शंकरलाल व मालाराम थे। इस प्रकार उक्त भूमि में इनका 1/3 – 1/3 हक हिस्सा निहित था। उक्त भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन हो चुका था। जिसके अनुसार मालाराम जी के हिस्से में दो बीघा भूमि आई तथा धनाराम व शंकरलाल के हिस्से में पृथक पृथक रूप से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि आई। इस प्रकार मालाराम के हिस्से में 6 बिस्वा भूमि अतिरिक्त आई। इनमें से धनाराम ने अपने हिस्से की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता बाबुलाल को बेचान कर दिया। उक्त दिनांक को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता बाबुलाल को यह बता दिया गया था कि मालाराम के हिस्से में 2 बीघा भूमि रखी गई है। जिस पर बाबुलाल द्वारा मालाराम के पक्ष में एक ईकरारनामा भी निष्पादित किया गया। मालाराम की भूमि पर उनके वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। उक्त 6 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की विधि विरूद्ध तामील करवाते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें विभाजन के कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज किया गया है। तहसीलदार द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया तथा न ही पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया। विधि विरूद्ध रूप से पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सम्मन जारी किए। अपीलाण्ट बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट का कथन है कि मौखिक बंटवाडा हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

चुका है, जबकि वास्तविक रूप में ऐसा कोई विभाजन हुआ ही नहीं। खातेदार शंकरलाल व धनाराम ने अपने हिस्से की भूमि बाबूलाल व सुखीदेवी को बेचान किया है, जो विक्रय विलेख पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें भूमि का मौके पर विभाजन होना बताया है। रेस्पोडेन्ट्स अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। यदि अपीलाण्ट को एकपक्षीय डिक्री से किसी प्रकार का शिकवा था, तो उन्हे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था, जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिरोही के खसरा नम्बर 3096 रकबा 0.8300 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन कर भूमि राजस्व रेकर्ड में पृथक से तरमीम कराते हुए अपीलाण्ट्स को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के हक हिस्से की भूमि में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए। इनमें अपीलाण्ट संख्या 3 से 5 के नाम जो सम्मन जारी किए है, वे सम्मन नयावास संख्या 2, सिरोही के जारी किए गए है, जो उनकी माता खुमीबाई से तामील करवाए गए है, जबकि इस स्थान पर अपीलाण्ट संख्या 3 से 5 निवास नहीं कर अपने ससुराल में निवास करती है, जिनके पते अपील शीर्षक में दिए गए है। इस प्रकार उक्त तामील की कार्यवाही को सम्यक् तामील नहीं माना जा सकता है। इस तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय पारित किए है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस मौका फर्द पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है एवं न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

पक्षकारान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2015 प्रतापराम वगैरा बनाम भीमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 एवं 18.01.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 6.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner